# न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 08 / 2021

1 हरफूल पुत्र रामदेव।

2 द्वारका प्रसाद पुत्र रामदेव समस्त जाति कुमावत निवासीगण अजबपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर सत्यमेव जयते

अपीलांट

बनाम

1 रामलाल पुत्र गोविन्दा।

2 प्रभात पुत्र गोविन्दा।

3 श्रवण पुत्र गोविन्दा।

4 चूंकली देवी पत्नी गोविन्दा।

5 श्रवण कुमार पुत्र रामदेव।

6 झमरू देवी बेवाह भींवाराम।

7 कैलाश पुत्र भींवाराम।

8 सीताराम पुत्र भींवाराम।

9 सन्ता देवी पुत्री भींवाराम।

10 सरिता पुत्री भींवाराम।

11 बनवारीलाल पुत्र दहड़ाराम।

12 गणेश पुत्र तुलछाराम।

13 मोती पुत्र तुलछाराम।

14 मंगला पुत्र नारायण।

15 सोहन पुत्र नारायण समस्त जाति कुमावत निवासीगण अजबपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

16 तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 25.01.2021 न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ प्रकरण उनवानी
हरफूल बनाम रामलाल आदि मुकदमा नम्बर 02/2018
आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए आरटीएक्ट अपील अन्तर्गत
धारा 225 आरटीएक्ट।

उपस्थिति :

1. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सोहनलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते सीकर

–निर्णय–

दिनांकः–31-1-23

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 02/2018 में पारित निर्णय दिनांक 25.01.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 613 रकबा 0.35 हैक्टेयर तन ग्राम अजबपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में आवागमन हेतु रास्ते की अत्यावश्यकता होने व अन्य कोई रास्ता नही होने के कारण अपीलांट ने विचारण न्यायालय में आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए आरटीएक्ट प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 624 व खसरा नम्बर 621 गै. मु.

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

रास्ता से आगे भूमि खसरा नम्बर 614 से रास्ता जो आवेदन के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में मार्क ए से बी को दर्शित करते हुए रास्ता चाहा, जिस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर रेस्पोडेंट/अप्रार्थी को तलब किया व उन्होने उपस्थित होकर अपीलांट को पश्चिमी साईड से खसरा नम्बर 548 के पश्चिम साईड में 20 मीटर दूर पर ही कटानी रास्ता होना बताया जो कतई रास्ता न होकर नदी नाले व ढलान की जगह है उससे कोई आवागमन योग्य जगह नही है तथा उन्होने खसरा नम्बर 622,623,625,626 की उतरी सीमा के सहारे–सहारे फिर खसरा नम्बर 626 व 627 की सीमा के मध्य होता हुआ आगे खसरा नम्बर 627 व स्वंय अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 614 की सीमाओ के मध्य से होता हुआ खसरा नम्बर 613 में प्रवेश करना बताया जबकि खसरा नम्बर 623 की उतरी सीमा पर जगदीश के मकान व खसरा नम्बर 622 की उतरी सीमा पर दिनेश, राजेश के मकान आवेदन दायरी से पहले ही बने हुए है व उस साईड से रास्ता दिया जाना कतई संभव नही है दोनो तरफ पुख्ता मकानात हवेलियां पुरानी बनी हुई है व दोनो मकानो के मध्य मुश्किल से तीन चार फिट की दूरी है जहां से आवागमन संभव नही है तहसीलदार से मौका रिपोर्ट ली व विचारण न्यायालय ने स्वंय मौका देखा लेकिन स्वंय ने फर्द मौका तैयार नही की व अपीलांट द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता आवागमन योग्य जगह उपलब्ध न होने व काफी लम्बाई होने के कारण अपीलांट क कथनो पर अविश्वास का कोई कारण पत्रावली पर मौजूद न होते हुए भी अपीलांट का आवेदन विधि विरूद्व अपने निर्णय दिनांक 25.01.2021 को खारिज कर दिया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने प्रथम मौका रिपोर्ट में अपीलांट द्वारा वांछित रास्ता प्रस्तावित कर इस रास्ते की दूरी 70 मीटर अंकित की गई है। विचारण न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत होने पर पुन मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई है। इस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

मौका रिपोर्ट दिनांक 21.09.218 में प्रस्तावित रास्तो में मकान बने हुये है एवं इसकी दूरी 275 मीटर अंकित है। प्रस्तुत प्रकरण में पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 24.6.2019 को स्वंय द्वारा मौका देखा गया है परन्तु मौका रिपोर्ट तैयार नही की गई है। अनावेदकगण द्वारा खसरा नम्बर 614 में पक्का निर्माण, टीन शैड प्रथम मौका रिपोर्ट के पश्चात कायम किये गये है। विधि अनुसार प्रथम मौका रिपोर्ट में अंकित न्यूनतम दूरी का रास्ता कायम किया जाना चाहिए था। विचारण न्यायालय ने अपीलांट का आवेदन धारा 251ए खारिज कर विधिक त्रुटि की है। अपील स्वीकार कर प्रथम मौका रिपोर्ट के अनुसार रास्ता कायम किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में नौ आवेदक थे प्रस्तुत अपील केवल मात्र दो पक्षकारों द्वारा की गई है। विचारण न्यायालय में आवेदक द्वारा खसरा नम्बर 613 के लिये खसरा नम्बर 614 में से रास्ता चाहा गया है। खसरा नम्बर 625,626,623 अपीलांट के परिवार की भूमि है। अपीलांट अपने परिवार की भूमि में से रास्ता ले सकता है। विचारण न्यायालय ने प्रथम मौका रिपोर्ट पर आपत्ति होने पर उभयपक्ष को सुनकर आपत्ति स्वीकार की गई है। इस आदेश के विरूद्व अपीलांट ने कोई निगरानी प्रस्तुत नही की है। अत अपील के स्तर पर अपीलांट प्रथम मौका रिपोर्ट के आधार पर किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत द्वितीय मौका रिपोर्ट पर अपीलांट ने कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की है। विचारण न्यायालय ने मौका रिपोर्ट के आधार पर तथ्यों का विवेचन कर विधि सम्मत रूप से अपीलांट का आवेदन खारिज किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय में तहसीलदार दांतारामगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव दिनांक 21.09.2019 का अवलोकन किया गया। आवेदक द्वारा खसरा नम्बर 613 रकबा 0.3500 हैक्टेयर भूमि हेतु पहुंच मार्ग हेतु खसरा

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर सत्यमेव जयते

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

नम्बर 614 रकबा 0.36 हैक्टेयर की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे इसी खसरा नम्बर में से बीचों–बीच पूर्व से पश्चिम रास्ता 6 मीटर चौड़ा एवं 88 मीटर लम्बा आगे पूर्वी दिशा की तरफ रास्ता खसरा नम्बर 624 व खसरा नम्बर 621 गैर मुमकिन रास्ता में मिलता हुआ कुल क्षेत्रफल 528 वर्गमीटर रास्ते का अनुतोष चाहा है। राजस्थान काश्तकारी कानून की धारा 251ए में काश्तकार के रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता की स्थिति में सबसे नजदीकी रिकार्डेड रास्ते से निकटतम रूट से रास्ता उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। तहसीलदार दांतारामगढ़ की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी की जोत हेतु कोई पहुच मार्ग नहीं होने से रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है। तहसीलदार दांतारामगढ़ द्वारा प्रेषित रिपोर्ट 21.09.2019 द्वारा प्रार्थी को रास्ता उपलब्ध करवाने हेतु तीन वैकल्पिक रास्ते प्रस्तावित किये गये है। रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार खसरा नम्बर 613 के लिए सबसे निकटतम रास्ता खसरा नम्बर 614 के उत्तर में बिन्दु सी तक रास्ते की दुरी करीब 68 मीटर है मगर प्रतिवादी/अप्रार्थी का मकान टीनशैड मध्य में आने एवं खसरा नम्बर 614 के दो टुकड़े हो रहे है। तहसीलदार दांतारामगढ़ की रिपोर्ट एवं राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 624 गैर मुमकिन चाह है जिसे रास्ता नहीं माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थी अपीलांट द्वारा चाहा गया रास्ता खेत खसरा नम्बर 614 में से नही देकर कोई विधिक त्रुटि नही की है। तहसीलदार की मौका रिपोर्ट से खसरा नम्बर 614 में वांछित रास्ते पर अप्रार्थीगण के मकान व टीनशैड बने होने का तथ्य प्रकट है। अत खसरा नम्बर 614 के सन्दर्भ में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय में हम कोई विधिक त्रुटि नही पाते है। अत इस हद तक विचारण न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते है।

जहां तक आवेदनकर्ता के खेत में रास्ते का प्रश्न है तहसीलदार की मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अपीलांट के खेत खसरा नम्बर 613 में आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध नही है। राजस्थान सरकार द्वारा धारा 251ए का प्रावधान

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

काश्तकार को उसकी कृषि जोत हेतु रास्ता उपलब्ध करवाने के लिये ही किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट का आवेदन सम्पूर्ण रूप से खारिज किये जाने को हम उचित नही समझते है। तहसीलदार की मौका रिपोर्ट दिनांक 21.09.2019 में बिन्दु संख्या 5 में अंकित किया है कि रिपोर्ट में अंकित नजरी नक्शे के अनुसार ई.एफ.सी. बिन्दु पर रास्ता कायम किया जा सकता है। विचारण न्यायालय को इस प्रस्तावित रास्ते के खातेदारान को पक्षकार संयोजित कर पुन मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई आवेदनकर्ता अपीलांट को रास्ता उपलब्ध करवाने की कार्यवाही सम्पादित करनी चाहिए।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार की मौका रिपोर्ट दिनांक 21.09.2019 में बिन्दु संख्या 5 में अंकित रिपोर्ट में अंकित नजरी नक्शे के अनुसार ई.एफ.सी. बिन्दु पर रास्ता कायम करने हेतु विचारण न्यायालय इस प्रस्तावित रास्ते के खातेदारान को पक्षकार संयोजित कर पुन मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। अपीलांट विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.02.2023 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 31-1-23 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर

(धारा सिंह मीना)
भू-प्रबंध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर